न्यायालय : - उपजिलाधिकारी

मण्डल :बरेली , जनपद :बदायूँ , तहसील :बदायूँ

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202012070104297

वाद संख्या:- 04297/2020

डा० रामपाल सिह बनाम सरकार उ0प्र0

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 30/06/2020

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा 80 यू0पी0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत डा0 आर0पी0 सिंह चैरेटेविल ट्रस्ट 15 उत्कर्ष महानगर बरेली द्वारा चैरमैन डा0 रामपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द्र सिंह निवासी मो0 उत्कर्ष महानगर बरेली जनपद बरेली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा भूमि स्थित ग्राम ढकिया परगना व तहसील बदायूँ के गाटा सख्ंया-158 रकवा 0.243है0, गाटा संख्या 160 रकवा 0.187, गाटा संख्या 164 रकवा 0.126है0, गाटा संख्या 165 रकवा 0.035है0, गाटा संख्या 202 रकवा 0.923है0 व गाटा संख्या 163मि0 रकवा 1.281है0 कुल 06 किता रकवा 2.795है0 जो महाविद्यालय प्रयोजन के प्रयोग में आ रही है। उक्त क्षेत्रफल 2.795 है0 आराजी में महाविद्यालय गतिविधिया विद्यमान होने के कारण निर्माण कार्य हो रहा है। जिसके कारण भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार बदायूँ से करायी गई। तहसीलदार बदायूँ द्वारा लेखपाल/राजस्व निरीक्षक से स्थलीय जॉच कराई गई। लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि गाटा सख्ंया-158 रकवा 0.243है0, गाटा संख्या 160 रकवा 0.187, गाटा संख्या 164 रकवा 0.126है0, गाटा संख्या 165 रकवा 0.035है0, गाटा संख्या 202 रकवा 0.923है0 व गाटा संख्या 163मि0 रकवा 1.281 है0 कुल 06 किता रकवा 2.795है0 स्थित ग्राम ढकिया परगना व तहसील बदायूँ प्रार्थी डा0 आर0पी0 सिंह चैरेटेविल ट्रस्ट 15 उत्कर्ष महानगर बरेली द्वारा चैरमैन डा0 रामपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द्र सिंह निवासी मो0 उत्कर्ष महानगर बरेली जनपद बरेली के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त क्षेत्रफल 2.795है0 में महाविद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि में मौके पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन आदि नही ंहो रहा है। भूमि अकृषक प्रयोग मे लायी जा रही है। भूमि विवादित 2.795है0 धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने एंव 63.30 पैसा लगान मुक्त किये जाने की आख्या प्रेषित की गई है।

तहसीलदार बदायूँ से जॉच आख्या प्राप्त होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि गाटा सख्ंया-158 रकवा 0.243है0, गाटा संख्या 160 रकवा 0.187, गाटा संख्या 164 रकवा 0.126है0, गाटा संख्या 165 रकवा 0.035है0, गाटा संख्या 202 रकवा 0.923है0 व गाटा संख्या 163मि0 रकवा 1.281है0 कुल 06 किता रकवा 2.795है0 स्थित ग्राम ढकिया परगना व तहसील बदायूँ डा0 आर0पी0 सिंह चैरेटेविल ट्रस्ट 15 उत्कर्ष महानगर बरेली द्वारा चैरमैन डा0 रामपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द्र सिंह निवासी मो0 उत्कर्ष महानगर बरेली जनपद बरेली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त क्षेत्रफल 2.795है0 में महाविद्यालय भवन निर्माणाधीन है। उक्त भूमि में मौके पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन आदि नही ंहो रहा है। भूमि अकृषक प्रयोग मे लायी जा रही है। भूमि विवादित 2.795है0 को धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने एंव 63.30 पैसा लगान मुक्त किये जाने की याचना की गई है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र मे उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन नही ंहै। उक्त भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण का कार्य चल रहा है। भूमि विवाद रहित है। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए भूमि विवादित को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की गई है। महानिरीक्षक निवन्धन, उ0 प्र0,
लखनऊ के पत्रांक 2893/शि0का0लख0/2018 दिनांक 30-8-2018 के अन्तर्गत भूमि को धारा-80 के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने वाले वादों में उदघोषणा शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प लिये जाने के दृष्टिगत उपनिबन्धक बदायूँ द्वारा सर्किल रेट का एक प्रतिशत धनराशि अंकन 84,943/-चालान सॅख्या-एफ0पी0-00038 दिनांक 25-06-2020 से राजकोष में जमा कर चालान प्रति प्रस्तुत की गई तथा कोर्ट फीस के स्टाम्प अंकन 84,943/-प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित उद्घोषणा शुल्क एंव कोर्ट फीस अदा की गई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बदायूँ द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर उ0प्र0रा0सं0 की धारा-80 में उल्लिखित प्राविधान के अधीन प्रश्नगत भूमि अकृषक घोषित किये जाने योग्य हैः-

आदेश

अतः प्रार्थी डा0 आर0पी0 सिंह चैरेटेविल ट्रस्ट 15 उत्कर्ष महानगर बरेली द्वारा चैरमैन डा0 रामपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द्र सिंह निवासी मो0 उत्कर्ष महानगर बरेली जनपद बरेली की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि स्थित ग्राम ढकिया परगना व तहसील बदायूँ के गाटा सख्ंया-158 रकवा 0.243है0, गाटा संख्या 160 रकवा 0.187, गाटा संख्या 164 रकवा 0.126है0, गाटा संख्या 165 रकवा 0.035है0, गाटा संख्या 202 रकवा 0.923है0 व गाटा संख्या 163मि0 रकवा 1.281है0 कुल 06 किता रकवा 2.795है0 पर निर्माण कार्य होने के कारण 2.795है0 क्षेत्रफल को उ0प्र0रा0सं0 80 के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जाता है तथा लगान 63.30 पैसा से मुक्त किया जाता है। तदनुसार भू0 अभिलेखों में प्रबिष्टि हेतु आदेश की एक-एक प्रति उपनिबन्धक एवं तहसीलदार बदायूँ को प्रेषित की जाये। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दफतर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"